IN THE COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE AND COLLECTOR, JAMUI
FORM OF ORDER SHEET
दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या–09 / 2012
रामेश्वर यादव वगैरह
बनाम
जया देवी वगैरह

Serial no.	Date of order or proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	13.05.2016	आदेश यह वाद रामेश्वर यादव पिता–स्व0 तिलो यादव एवं अन्य ग्राम–पैरगाहा थाना–झाझा जिला–जमुई द्वारा लाया गया जिसे अंगीकृत करने के बिन्दु पर सुना गया एवं अंगीकृत किया गया। यह पुनरीक्षण वाद रामेश्वर यादव एवं अन्य ने निम्न न्यायालय उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के दाखिल खारिज अपील वाद सं0–09 / 11–12 रामेश्वर यादव वगैरह बनाम धन्नु राय वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.09.2012 के विरूद्ध लाया है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–पैरगाहा के खाता सं0–18 खेसरा सं0–246, 250, 251, 252 एवं 983 कुल रकवा–1.54 एकड़ जमीन खतियान में छातो साह पिता–बुद्धु साह के नाम से दर्ज था जिसमें खेसरा सं0–246,250 एवं 251 कुल रकवा–95 डी0 जमीन सिकमी खाता सं0–9 के अंतर्गत रेवल गोप के नाम से सिकमी दर्ज था। रेवल गोप पुनरीक्षणकर्ता के पूर्वज थे। छातो साह नावल्द मर गये। सिकमी खाता सं0–9 की सम्पूर्ण 95 डी0 जमीन पर पुनरीक्षणकर्ता का दखल कब्जा चला आ रहा है। पुनरीक्षणकर्ता ने **B.T. Act.** के तहत सिकमी रैयती अधिकार प्रदान करने तथा अपने नाम से जमाबंदी कायम कराने हेतु अंचल अधिकारी, झाझा के पास सिकमी दाखिल खारिज वाद सं0–01 / 2010–11 दायर किया जिसमें अंचल अधिकारी, झाझा द्वारा जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई को भेज दिया गया जिसके आधार पर उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0–09 / 11–12 आरम्भ किया गया जिसमें उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायालय से नोटिस प्राप्ति के बाद पुनरीक्षणकर्ता ने कई बार उक्त अभिलेख को अनुमंडल दण्डाधिकारी, जमुई जिन्हें **B.T. Act.** के तहत सिकमी मामले में क्षेत्राधिकार प्राप्त है के पास भेजने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की बातों पर ध्यान न देकर दिनांक 28.09.12 को पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया, जो गलत है। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार का **B.T. Act.** के तहत सिकमी मामले में निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार नहीं है।	

पुनरीक्षणकर्ता सिकमीदार रेवल गोप के वारिसान हैं और इसके बाद भी उप समाहर्त्ता भूमि सुधार के द्वारा उनके अपील को खारिज कर दिया गया। विपक्षी ने खाता सं0–18 की जमीन छातो साह से कैसे हासिल किया है के संबंध में कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया इसके बाद भी उप समाहर्त्ता भूमि सुधार के द्वारा उनके Claim पर विश्वास किया गया। ललिया देवी पति–कोदो राय, जागेश्वर राय पिता–गनौरी राय, फुलेश्वर राय पिता–जीतन राय, जयबा देवी पति–नुनेश्वर राय, देवकी देवी पति–भागीरथ राय, मसो0 सावित्री देवी पति–धन्नु राय को रैयती खाता सं0–18 एवं सिकमी खाता सं0–9 की जमीन को बेचने का अधिकार नहीं है और अगर वे सिकमी खाता सं0–9 की जमीन किसी को बेचते हैं तो वह विकी अवैध है। विपक्षी सं0–2 अशोक साह खतियानी रैयत छातो साह के वंशज एवं केता होने के आधार पर खाता सं0–18 एवं सिकमी खाता सं0–9 की जमीन पर दावा करते हैं, परन्तु निम्न न्यायालय में उनके द्वारा कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी का कथन है कि छातो साह नावल्द नहीं थे। छातो साह को दो पुत्र बालचन्द साह और समर साह था जिसके वंशज अशोक साह विपक्षी सं0–2 हैं। वास्तविकता यह है कि बालचन्द साह और समर साह के नाम से खाता सं0–33 में कुल 15 खेसरों में 8.02 एकड़ जमीन है। खाता सं0–33 के खतियान में बालचन्द साह एवं समर साह के पिता का नाम कनटु साह दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि बालचन्द साह और समर साह छातो साह के वंशज नहीं हैं। इसके अतिरिक्त विपक्षीगण की ओर से छातो साह द्वारा विकी किये जाने संबंधी कोई केवाला प्रस्तुत नहीं किया गया है। छातो साह ने कब और किसके पास सिकमी जमीन बेचा था इस संबंध में विपक्षी के द्वारा अपने जवाब में उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि छातो साह ने कोई भी जमीन खाता सं0–18 या सिकमी खाता सं0–9 का विकी नहीं किया था। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के आदेश में विभिन्न जमाबंदी संख्या का वर्णन है जो सभी खरीदार एक दूसरे के पास खरीद विकी किया है और जिसके आधार पर कर्मचारी को मेल में लाकर जमाबंदी कायम करा लिया गया है, जो गलत है। पुनरीक्षणकर्ता या उनके पूर्वजों ने सिकमी खेसरा में कोई जमीन नहीं खरीदा है, बल्कि विपक्षीगण ने जाली केवाला तैयार किया है। पुनरीक्षणकर्ता सिकमीदार रेवल गोप के वंशज हैं तथा जमीन पर उनका दखल कब्जा है। अतः दाखिल खारिज अपील वाद सं0–09/11–12 में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई का आदेश दिनांक 28.09.2012 गलत है इसे निरस्त किया जाय।

2. विपक्षी सं0–1 एवं 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह वाद चलने लायक नहीं है। सिकमी जमीन के दाखिल खारिज के लिए अंचल अधिकारी सक्षम पदाधिकारी होते हैं। अंचल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनुमंडल दण्डाधिकारी के पास अपील दायर करने का प्रावधान है। B.T. Act. की धारा–48 में सिकमी रिविजन का कोई प्रावधान नहीं है। सिकमी जमीन हस्तांतरणीय नहीं

होती है। पुनरीक्षणकर्ता ने अंचल अधिकारी के पास सिकमी रैयती अधिकार के लिए वाद लाया था तो अंचल अधिकारी सक्षम पदाधिकारी होने के नाते उसे या तो स्वीकृत करते या अस्वीकृत करते, परन्तु अंचल अधिकारी ने सिकमी दाखिल खारिज की प्रकिया को नहीं अपनाकर इसे जमाबंदी सुधार वाद के रूप में परिवर्तित कर अनुशंसा के साथ उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के पास भेज दिया, जो गलत है। पुनरीक्षणकर्ता सिकमीदार रैयत रेवल गोप के वंशज नहीं हैं और न इन लोगों का प्रश्नगत जमीन पर कभी दखल कब्जा रहा है। रैयती खाता सं0–18 की जमीन खतियान में छातो साह के नाम से दर्ज था जिसमें खेसरा सं0–246, 250 एवं 251 सिकमी जमीन के रूप में रेवल गोप, चोपन गोप एवं सुकन पिता–चानो गोप के नाम से सिकमी खाता नं0–9 के अंतर्गत दर्ज था। सर्वे के तुरन्त बाद सिकमीदार की मृत्यु हो जाने के बाद यह जमीन खतियानी रैयत छातो साह के दखल कब्जा में चली आयी। $1.47\frac{1}{4}$ एकड़ जमीन की जमाबंदी सं0–42 धन्नु राय पे0–कोदो राय के नाम से कायम थी जिसपर धन्नु राय का दखल कब्जा था और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सावित्री देवी का दखल कब्जा हुआ । धन्नु राय एवं उनकी पत्नी सावित्री देवी ने विभिन्न व्यक्तियों के पास विभिन्न केवालों के द्वारा जमीन बेचा जिसपर खरीदारों का दखल कब्जा हुआ तथा खरीदार के नाम से दाखिल खारिज हुआ। अंत में जमाबंदी सं0–42 में मात्र $48\frac{1}{4}$ डी0 जमीन बची हुई थी जिसे सावित्री देवी ने दिनांक 09.10.2009 को निबंधित केवाला के द्वारा जया देवी को बेच दिया। खरीद के बाद से जया देवी का खरीदगी जमीन पर दखल कब्जा चला आ रहा है। रामेश्वर यादव एवं एतवारी यादव ने भी विभिन्न केवालों के द्वारा सिकमी खाता सं0–9 की जमीन खरीदा और खरीद के बाद उनके नाम से दाखिल खारिज किया गया तथा जमाबंदी सं0–717 कायम किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि पुनरीक्षणकर्ता का दखल कब्जा खरीदारी के अलावा जमीन पर नहीं है। अंचल अधिकारी, झाझा ने स्थलीय जाँच नहीं किया। हल्का कर्मचारी ने गलत प्रतिवेदित किया है कि विपक्षी दो–तीन वर्ष से दखल कर लिया है। सिकमी खाता सं0–9 की सम्पूर्ण जमीन विभिन्न केवालों के द्वारा बेच दिया गया है और अब कोई जमीन बची हुई नहीं है। खरीदारों के दाखिल खारिज के विरूद्ध कोई अपील दायर नहीं किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता का यह कथन गलत है कि उनके द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायालय में अंचल अधिकारी द्वारा भेजे गये अभिलेख को अनुमंडल दण्डाधिकारी के न्यायालय में भेजने हेतु निवेदन किया गया था। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस आशय का कोई आवेदन उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायालय में कभी दायर नहीं किया गया था। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा सभी तथ्यों का परिशीलन करने के बाद आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः पुनरीक्षणकर्ता के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाय।

3. विपक्षी सं0–2 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–पैरगाहा के खाता सं0–18 खेसरा नं0–246, 250, 251, 252 एवं 983 कुल रकवा–1.54 एकड़ जमीन खतियान में छातो साह के नाम से दर्ज था। छातो साह विपक्षी सं0–2 के पूर्वज थे। इन पाँच खेसरों में से खेसरा सं0–246, 250 एवं 251 कुल रकवा–95 डी0 सिकमी खाता सं0–9 के अंतर्गत रेवल गोप वगैरह के नाम से सिकमी दर्ज था। पुनरीक्षणकर्ता का यह कहना गलत है कि छातो साह नावल्द मर गये और पुनरीक्षणकर्ता 95 डी0 जमीन के दखल कब्जा में चले आ रहे हैं। वास्तविकता यह है कि छातो साह अपने दो पुत्र बालचन्द साह और समर साह को छोड़कर मर गये जिसके वंशज अशोक साह हैं। खाता सं0–18 के खेसरा सं0–246 में 08डी0, खेसरा सं0–250 में 13डी0, खेसरा सं0–251 में 74डी0, खेसरा सं0–252 में 02डी0 एवं खेसरा सं0–983 में 57डी0 कुल 1.54 एकड़ जमीन था। खाता सं0–18 में खेसरा सं0–246, 250 एवं 251 रेवल गोप वगै0 के नाम से सिकमी खाता सं0–9 दर्ज था जिसमें सिकमी दो साल कायम था। फलतः दो साल बाद रेवल गोप वगैरह ने सिकमी भूमि का जोत आबाद करना छोड़ दिया और छातो साह मूल रैयत सभी पाँचों खेसरों के दखल कब्जा में रहने लगे। कालान्तर में खाता सं0–18 की भूमि कोदो राय एवं जगदीश मोदी को हस्तांतरित हो गयी। जगदीश मोदी के नाम से खेसरा सं0–251 का $6\frac{3}{4}$ डी0 तथा शेष $1.47\frac{1}{4}$ एकड़ जमीन की जमाबंदी कोदो राय के पुत्र धन्नु राय के नाम पर कायम हुई। जगदीश मोदी ने खेसरा सं0–251 का $6\frac{3}{4}$ डी0 जमीन नीरू यादव एवं वंशी यादव पेसरान–रेवल यादव के पास बेच दिया जिसके आधार पर नीरू यादव वगै0 का दाखिल खारिज हुआ। पुनरीक्षणकर्ता रेवल यादव के वंशज हैं। इस खरीदारी से यह प्रमाणित होता है कि सिकमी जोत का अंत हो गया था और अब सिकमी दावा गलत है। कोदो राय की मृत्यु के बाद कोदो राय की पत्नी ललिया देवी ने खेसरा नं0–246 का 6 डी0, खेसरा सं0–250 का 18 डी0, खेसरा सं0–251 का 45 डी0, एवं खेसरा नं0–252 का 02 डी0 कुल 71 डी0 जमीन फुलेश्वर राय को निबंधित केवाला के द्वारा दिनांक 28.12.74 को बेच दिया। फुलेश्वर राय ने खेसरा नं0–250 का 9 डी0 एवं खेसरा नं0–251 का 11 डी0 कुल 20 डी0 जमीन उगन राय को निबंधित केवाला के द्वारा दिनांक 22.12.78 को बेच दिया तथा दिनांक 20.12.80 को उगन राय के पुत्र भागीरथ राय के नाम से खेसरा सं0–251 का 20डी0 जमीन भी बेच दिया। फुलेश्वर राय ने खेसरा नं0–246 का 6डी0 एवं खेसरा नं0–251 का 14 डी0 कुल 20 डी0 जमीन जयवा देवी को बेच दिया। जयवा देवी ने 251 का 10 डी0 जमीन अशोक साह को निबंधित केवाला के द्वारा दिनांक 07.06.03 को बेच दिया जिसके आधार पर दाखिल खारिज के उपरांत जमाबंदी सं0–722 अशोक साह के नाम से कायम किया गया। भागीरथ राय की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी देवकी देवी ने खेसरा नं0–250 का 9 डी0 एवं खेसरा सं0–251 का 31 डी0

कुल 40 डी0 जमीन अशोक साह को निबंधित केवाला के द्वारा दिनांक 24.07.2003 को बेच दिया जिसके आधार पर दाखिल खारिज के उपरांत जमाबंदी सं0–727 विपक्षी अशोक साह के नाम से कायम किया गया। फुलेश्वर राय ने खेसरा नं0–252 का 02 डी0 जमीन रामेश्वर यादव व एतवारी यादव के नाम से दिनांक 11.09.98 को निबंधित केवाला के द्वारा बेच दिया जिसके आधार पर दाखिल खारिज के उपरांत रामेश्वर यादव एवं एतवारी यादव के नाम से जमाबंदी सं0–717 कायम किया गया। रामेश्वर यादव एवं एतवारी यादव ने उक्त 02 डी0 जमीन के अलावे खेसरा सं0–251 का 28 डी0 जमीन भी फुलेश्वर राय से लिखवा लिया जिसे फुलेश्वर राय ने पूर्व में ही बेच दिया था और अंचल अमला को मेल में लाकर उक्त 28 डी0 भी जमाबंदी सं0–717 में जोड़वा दिया जो गलत था और विखंडित करने योग्य था। इसलिए अंचल अधिकारी ने उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के पास जमाबंदी सुधार के लिए अनुशंसा कर अभिलेख भेजा। पुनरीक्षणकर्ता का यह कहना कि अंचल अधिकारी ने सिकमी रैयती अधिकार घोषित करने के लिए अभिलेख उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के पास भेजा था, गलत है। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार को सिकमी मामले में क्षेत्राधिकार नहीं है। इसके लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी सक्षम पदाधिकारी होते हैं परन्तु अंचल अधिकारी ने अनुमंडल दण्डाधिकारी के पास अभिलेख न भेज कर उसे उप समाहर्त्ता भूमि सुधार के पास भेजा, जिससे स्पष्ट है कि यह सिकमी अधिकार का मामला नहीं है। विपक्षी सं0–2 खतियानी रैयत छातो साह के वारिसान हैं और उसने जमाबंदी रैयत से जमीन हासिल किया है इसलिए उप समाहर्त्ता भूमि सुधार ने उनके Claim पर विश्वास किया, जो सही है। अतः उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई का आदेश विधि–सम्मत है इसे बरकरार रखते हुए पुनरीक्षणकर्ता के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाय।

4. पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किया गया :–

1. खाता सं0–33 के क्रमिक खतियान की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति,

2. खाता नं0–18 के खतियान की छायाप्रति।

5. विपक्षी सं0–1 एवं 3 की ओर से निम्नांकित कागजात दाखिल किया गया:–

1. फुलेश्वर राय के द्वारा जैयवा देवी को किए गए केवाल दिनांक 30.06.97 की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति,

2. जागेश्वर राय के द्वारा एतवारी यादव एवं अन्य को किए गए केवाला दिनांक 01.07.97 की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति,

3. ललीया देवी के द्वारा फुलेश्वर राय को किए गए केवाला दिनांक 28.12.74 की छायाप्रति,

4. फुलेश्वर राय के द्वारा उगन राय को किए गए केवाला दिनांक 22.12.78 की छायाप्रति,

5. फुलेश्वर राय के द्वारा भागीरथ राय को किए गए केवाला दिनांक 20.12.80 की छायाप्रति,

6. खाता सं0–18 के **Continuous Khatian** के नकल की छायाप्रति,

7. मालगुजारी रसीद सं0–6157052, 6157024, 824726, 00798839, 212763 एवं 00798841 की छायाप्रति।

6. विपक्षी सं0–2 के द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किया गयाः–

1. फुलेश्वर राय के द्वारा रामेश्वर यादव एवं अन्य को किए गए केवाला दिनांक 11.09.98 को सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति,

2. जागेश्वर राय के द्वारा एतवारी यादव एवं अन्य को किए गए केवाला दिनांक 01.07.97 की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति,

3. फुलेश्वर राय के द्वारा नीरू यादव को किए गए केवाला दिनांक 18.05.77 की छायाप्रति।

7. पुनरीक्षणकर्ता ने अपने आवेदन में यह स्पष्ट नहीं लिखा है कि यह पुनरीक्षण का आवेदन है या अपील है। आवेदन में कई जगह रिविजन की बात करते हैं और कई जगह अपील की बात करते हैं। इस बिन्दु पर विपक्षी ने कोई आपत्ति नहीं दाखिल की। अतः इस वाद को पुनरीक्षण के तौर पर सुना गया चूँकि यह वाद निम्न न्यायालय के दाखिल खारिज अपील वाद सं0–09/11–12 में दिनांक 28.09.12 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। पुनरीक्षणकर्ता ने अपने पुनरीक्षण का आधार भी विरोधाभाषी दिया है। आधार की कंडिका–2 में जहाँ एक तरफ वे कहते हैं कि निम्न न्यायालय को **B.T. Act, 1885** के तहत आवेदन प्राप्त करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था, वहीं दूसरी तरफ कंडिका–3 में उन्होंने यह आधार बनाया है कि निम्न न्यायालय ने अपने आदेश में अपीलार्थी के सिकमी अधिकार पर कोई निर्णय नहीं दिया है। इसके बाद की सभी कंडिकाओं में उन्होंने अपने सिकमी रैयत होने के संबंध में अपना दावा रखा है और विपक्षियों के प्रश्नगत भूमि पर दावे को नकारा है और यह प्रस्तुत किया है कि विपक्षियों के प्रश्नगत सिकमी खाता की भूमि से संबंधित अपने केवाला की छायाप्रति निम्न न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद निम्न न्यायालय ने उनके अपील को अस्वीकृत कर दिया है। अंत में कंडिका–11 में वे प्रश्नगत भूमि को जो रैयती खाता सं0–18 सिकमी खाता नं0–9 से संबंधित विकेताओं के संबंध में कहते हैं कि उन्हें जमीन बेचने का कोई अधिकार नहीं था और अगर उन्होंने यह जमीन बेचा है तो यह विकय विलेख अवैध है। इस प्रकार वे यहाँ पर केवाले को भी अवैध घोषित कराना चाह रहे हैं।

निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं अंतिम आदेश का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय के समक्ष यह वाद दाखिल खारिज अपील के रूप में अंचल अधिकारी, झाझा के पत्रांक 480 दिनांक 10.08.11 द्वारा प्रस्तुत हुआ है। निम्न न्यायालय के अंतिम आदेश में यह स्पष्ट लिखा है कि यह मामला सिकमी अधिकार घोषित करने का है जिसे अंचल

अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी स्पष्ट लिखा है कि उप समाहर्त्ता भूमि सुधार के न्यायालय में सिकमी दाखिल खारिज के संबंध में किसी तरीके का आदेश किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त के आलोक में निम्न न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए ही आदेश पारित किया है और उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन में अंकित तथ्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के आलोक में अंचल अधिकारी, झाझा को आदेश दिया जाता है कि उनके न्यायालय में दाखिल किये गये सिकमी अधिकार घोषित करने के आवेदन की पुनः विधिवत सुनवाई करते हुए एवं स्थलीय जाँच कराते हुए इस संबंध में मुखर आदेश पारित करें।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें। L.C.R. निम्न न्यायालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित

13/5/16

समाहर्त्ता,
जमुई।

13/5/16

समाहर्त्ता,
जमुई।